न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–43/2017 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. जगदीश पुत्र करनसिंह,
2. जगमोहन पुत्र करनसिंह,
3. रतन पुत्र करनसिंह,
4. किशनप्यारी बेवा करनसिंह जाति जाट निवासीयान रेटा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

..... अपीलांट्स/प्रतिवादी

बनाम

1. ब्रह्मसिंह पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम रेटा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

..... असल रेस्पो0/वादी

2. हिम्मत पुत्र टीकम जाति जाट निवासी ग्राम रेटा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

..... तर0रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री मूलचन्द चौधरी, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री उमाशंकर खंडेलवाल, अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

अपील संख्याः 44/2017 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. जगदीश पुत्र करनसिंह,
2. जगमोहन पुत्र करनसिंह,
3. रतन पुत्र करनसिंह,
4. किशनप्यारी बेवा करनसिंह जाति जाट निवासीयान रेटा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

..... अपीलांट्स/प्रतिवादी

बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

1. योगेन्द्र सिंह पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी ग्राम रेटा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

..... असल रेस्पो0/वादी

2. हिम्मत पुत्र टीकम जाति जाट निवासी ग्राम रेटा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

..... तर0रेस्पो0

उपस्थित :–

5. श्री मूलचन्द चौधरी, अभिभाषक अपीलांट ।
6. श्री उमाशंकर खंडेलवाल, अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–06.12.2019

यह दोनों अपील विद्धान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.11.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी असल रेस्पो0 द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आराजी खसरा नंबर 351 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, आराजी खसरा नंबर 90 रकबा 18 बिस्वा वाके ग्राम रेटा तहसील कठूमर में स्थित है।टीकम के दो लडके करन व हिम्मत है जिनमें करन फौत हो गया जिसके तीन पुत्र जगदीश, हिम्मत, रतन व बेवा मु0 किशनप्यारी है। उपरोक्त विवादित आराजी करन व हिम्मत की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर करन व हिम्मत का कब्जा बहैसियत खातेदार काश्तकार चला आ रहा था व मौके पर काबिज थे जिन्होंने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये उक्त आराजी को दिनांक 28.05.1987 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा वादी को बय कर दिया व कब्जा दे दिया जिस पर वक्त खरीद से ही वादी काबिज चला आ रहा है व मौके पर काबिज है।बेचान के बाद से विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का किसी तरह का संबंध व सरोकार नही रहा है। प्रतिवादीगण चतुर व चालाक लोग हैं जिन्होंने बंदोबस्त विभाग से उक्त आराजी की अलग अलग खातेदारी करवा ली तथा बाद में प्रतिवादीगण ने तहत अदालत में दावा कर 1/2–1/2 हिस्सा की डिक्री हासिल कर ली तथा हाल में गलत रूप से इन्द्राज अपने नाम करवा लिया। वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार बयनामा के आधार पर वादी के नाम खातेदारी का इंतकाल दर्ज कराने बाबत कहा तो पहले हां कर ली लेकिन अब इन्द्राज को दुरूस्त कराने से इंकार कर दिया आदि आदि पर मुताबिक वाद अनुतोष डिक्री करने की प्रार्थना की जिस पर मिन अपीलांटान ने बाद तामील जबाव पेश किया तथा मिन अपीलांट की ओर से पूर्व में श्री प्रकाश चन्द अधिवक्ता नियुक्त थे जिनके स्वर्गवास के पश्चात उनके पुत्र प्रमोद पैरवी करते थे लेकिन उन्होंने बिना कोई सूचना के उक्त प्रकरण में पैरवी करना बंद कर दिया । चूंकि उन्होंने कठूमर कोर्ट में आना बंद कर दिया था जिस

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

कारण मिन अपीलांटान की इकतरफा कर उक्त वाद डिक्री कर दिया । जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 10.11.2015 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी । इन दो अपीलों के तथ्य एवं कानूनी बिन्दु समान हैं अतः निर्णय के बिन्दु समान होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय भी एक साथ किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों अपीलों में संलग्न की जावें ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने मुख्य बहस से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर बहस करनी चाही। बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तथ्यों का हवाला दिया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 10.11.2015 को पारित किया है जिस निर्णय व डिक्री की जानकारी मिन अपीलांट को किसी प्रकार की नही थी। चूंकि उक्त वाद में मिन अपीलांट की ओर से पूर्व में प्रकाश चन्द अधिवक्ता नियुक्त थे तथा जिनका स्वर्गवास हो जाने के कारण उक्त प्रकरण में उनके पुत्र श्री प्रमोद अधिवक्ता पैरवी करते थे जिन्होंने मिन अपीलांट को आश्वासन दिया हुआ था कि अपीलांटान को हर तारीख पेशी पर आने की आवश्यकता नही है तथा जब भी आवश्यकता होगी तो सूचित कर अपीलांटान को बुलवा लिया जावेगा तथा मिन अपीलांटान इसी मुगालते में रहे तथा अधिवक्ता अपीलांटान श्री प्रमोद लक्ष्मणगढ से कठूमर अधीनस्थ कोर्ट में पैरवी करने आते थे परन्तु बाद में उन्होंने कठूमर आना बद कर दिया जिसकी सूचना मिन अपीलांटान को किसी प्रकार की नही दी। उक्त निर्णय व डिक्री की आड में दिनांक 29.05.2017 को असल रेस्पो0 द्वारा मिन अपीलांट के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत की तो मिन अपीलांटान ने ऐतराज किया जिस पर रेस्पो0 असल ने उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी की तथा मिन अपीलांटान ने दिनांक 30.05.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में जानकारी की एवं उसी दिन नकल हेतु आवेदन कर दिया जो नकल उसी दिन सांयकाल प्राप्त हुई जिसके पश्चात वकील साहब से मश्वरा किया एवं रूपयों का इंतजाम करने के पश्चात अविलम्ब यह अपील पेश की गई है। जो देरी हुई है वो उपरोक्त कारण से हुई है जिसमें मिन अपीलांटान की कोई बदयान्ती किसी प्रकार की नही रही है। इसलिये निर्णय व डिक्री दिनांक 10.11.2015 से जानकारी की तारीख दिनांक 29.05.2017 तक का समय धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत माफ किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर का निर्णय व डिक्री दिनांक 10.11.2015 से जानकारी की तारीख दिनांक 29.05.2017 तक का समय धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद तसव्वर फरमायी जाने हेतु निवेदन किया गया। उन्होंने अपने समर्थन में निम्न कानूनी नजीरें पेश की।

RBJ 2008 page 761, RBJ 2010 page 407, RBJ 2008 page 693, RBJ 2001 page376, RRD 1994 page 172, RRD 1990 page 262, RRD 2014 page 427.

जबाव में अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता प्रकाश नियुक्त नही था। अधिवक्ता के मृत्यु की तिथि अपीलांट द्वारा नही बताई

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

गई है। प्रमोद ही अधिवक्ता थे। तहत अदालत में वादी की साक्ष्य दिनांक 17.10.2008 को प्रारंभ हुई। दिनांक 12.12.2008 तक उक्त प्रकरण में 24 मौके दिये गये। 26 वीं पेशी पर दिनाक 14.09.2012 को अधीनस्थ अदालत में एकतरफा कार्यवाही हुई है। जबकि 2001 में प्रमोद ही वकील थे। अधीनस्थ अदालत द्वारा वादी को पर्याप्त अवसर दिये गये हैं। उक्त प्रकरण का सन 2015 में निर्णय हुआ है एवं 2017 में अपील फाईल की गई है। इतनी देर से पेश करने में वकील की कोई भूमिका नही होती है स्वयं पार्टी ही दोषी है। उन्होंने अपने समर्थन में निम्न कानूनी नजीरें पेश की।

2013(1) RRT 125, 2018(1) RRT 188, 2014(2)DNJ RAJ 699, 2019(2)RRT 866, 2005 RRD 513, 2016 RRD 1.

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2015 का अवलोकन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया ।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित पेश नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा नही होती क्योंकि तहत अदालत में पैरवी के लिये नियुक्त वकील वाद से विड्रा नही हुआ बल्कि पैरवी नही की है। यह अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध नही है। अपीलांट द्वारा देरी से अपील पेश करने के एक–एक दिन का कारण अंकित नही किया है साथ ही वाद स्थानान्तरण से संबंधित नही है।

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा पेश कानूनी नजीरें इस प्रकरण पर लागू होती हैं क्योंकि अपीलांट द्वारा 2 वर्ष देरी से अपील प्रस्तुत करने का उचित कारण प्रस्तुत नही किया है। वाद डिक्री किये जाने के बाद प्रथम अपील पेश करने में 02 वर्ष का विलम्ब एवं वकील द्वारा सूचना न दिये जाने का अभिवाक् स्वीकार योग्य नही है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट खारिज किया जाता है। चूंकि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट अस्वीकार किये जाने के कारण अपील भी स्वतः ही सारहीन है।

इस आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है ।अधीनस्थ न्यायालय विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.11.2015 को यथावत रखा जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/12/19

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर